मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 9-3-/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मृतक शासकीय कर्मचारी के आश्रितों को अनुग्रह राशि देयता के संबंध में स्पष्टीकरण.

सन्दर्भ:—मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2335/नि-2/4/72, दिनांक 14-11-72

वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 14-11-72 में प्रावधान है कि अविवाहित कर्मचारी के मामले में अनुग्रह राशि कर्मचारी के आश्रित पिता तथा माता और माता-पिता के जीवित न होने की दशा में पिता की अन्य विधवा जो मृत कर्मचारी पर आश्रित होकर उसी के साथ रहते हों, उसे देय होगी.

2. राज्य शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि उपर्युक्त संबंधी न होने पर अनुग्रह राशि की देयता की स्थिति क्या होगी? मृत शासकीय सेवक के आश्रितों को देय अनुग्रह राशि, तात्कालिक रूप से सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से है, अत: राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया गया है कि उक्त संबंधियों के विधिक उत्तराधिकारी न होने की दशा में कार्यालय प्रमुख की संतुष्टि पर परिवार के किसी सदस्य को भुगतान का निर्णय लिया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(मनीष रस्तोगी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

शाकेमुभो—433—उसविवि—26-10-15—500.